न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुकदमा संख्या–38/2012

अध्यक्ष, राजस्थान ब्राहम्ण सभा बांदीकुई।

–: वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा।

–: प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्ती नक्शा ट्रेस

दिनांक निर्णय–10.06.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी भगवानसहाय शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राहम्ण सभा बांदीकुई ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्ती नक्शा ट्रेसपेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडाबास भांडेडा स्थित ख0 नं0 69 रकबा 0.80 है0, ख0 नं0 70 रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 71 रकबा 0.14 है0 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ब्राहम्ण महासभा खण्ड बांदीकुई को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की थी। जिसका नामान्तकरण सं0 48 स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत् 2062 लगा0 2065 के खाता संख्या 90 पर खाता दजै है।

भू प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार नक्शा ट्रेस में ख0 नं0 69, 70, 71 बनाए गए है। उक्त नम्बरान की रकबा बरारी करने पर उनका क्षेत्रफल जमाबंदी में अंकित क्षेत्रफल से मेल नही खाता है। यानि ख0 नं0 69 का रकबा लगभग 0.40 है0, ख0 नं0 70 का रकबा लगभग 0.14 है0 एवं ख0 नं0 71 का रकबा लगभग 0.06 है0 बनता है। जबकि मुताबिक जमाबंदी ख0 नं0 69 का रकबा 0.80 है0, ख0 नं0 70 का रकबा 0.40 है0 एवं ख0 नं0 71 का रकबा 0.14 है0 होना चाहिए।

खसरा नम्बर 69, 70, 71 गत ख0 नं0 98 से बने है। गत ख0 नं0 98 से अन्य भी नम्बरान बनाए गए है। भू प्रबंधन विभाग द्वारा ख0 नं0 69, 70, 71 का मानचित्र (नक्शा) नक्शा सीट में जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल से कम बनाया गया है।

खसरा नम्बर 69, 70, 71 ग्राम बडाबास भाण्डेडा नक्शा ट्रेस में जमाबंदी मे दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार नही बनाया गया है। जबकि नक्शा जमाबंदी मे दर्ज क्षेत्रफल जितना ही बनना चाहिए था।

प्रार्थी द्वारा प्राथना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बडाबास स्थित भूमि खसरा नम्बर 69, 70, 71 का जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार ही नक्शा ट्रेस में

Scanned with OKEN Scanner

ा नम्बर 69, 70, 71 दुरूस्त किया जाकर बनाया जाए ताकि जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में रूपता आ सके एवं हमारे हक हकूक सुरक्षित रह सकें।

प्रकरण तहसीलदार बसवा के पत्रांक/भू0अ0/2009/10196 दिनांक 24.02. 9 के द्वारा बाबत् प्रार्थना पत्र अध्यक्ष राजस्थान ब्राहम्ण सभा बांदीकुई वास्ते दुरूस्ती नक्शा खसरा नम्बर 69, 70, 71 ग्राम बडाबास भाण्डेडा प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा जॉच रिपोर्ट ांक 28.04.2024 भिजवाई गई। तहसीलदार बांदीकुई की जॉच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम ाबास की हाल जमाबंदी में ख0 नं0 69 रकबा 0.80 है0, ख0 नं0 70 रकबा 0.40 है0, ख0 71 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 रकबा 1.34 है0 राजस्थान ब्राहम्ण महासभा खण्ड दीकुई पट्टेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वर्ष 2003 में चरागाह भूमि से राजस्थान हम्ण महासभा खण्ड बांदीकुई को आवंटन से प्राप्त हुई है। उक्त खसरा नम्बर 69, 70, 71 ा जमाबंदी में रकबा क्रमशः 0.80 है0, 0.40 है0, 0.14 है0 दर्ज है। किन्तु नक्शा शीट में कबा बरारी करने पर उक्त खसरो का रकबा क्रमशः 0.40 है0, 0.14 है0, 0.06 है0 बनता है। ो जमाबंदी में दर्ज रकबे के मुकाबले नक्शे में रकबा कम है। उक्त खसरा नम्बरान के चारो रफ स्थित अन्य खसरा नम्बरान का रकबा बरारी करने पर पाया कि ब्राहम्ण महासभा की ूमि के आस–पास स्थित खसरो का रकबा जमाबंदी के अनुरूप है। जमाबंदी के मुकाबले धिक नही है। जिससे आवंटित भूमि के रकबे की पूर्ति की जा सकें। उक्त खसरा नम्बरान ा साबिक खसरा नम्बर 98 का रकबा गत नक्शा शीट में जमाबंदी की तुलना में कम है। करण वास्ते बहस नियत किया गया। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा ौराने बहस ग्राम बडाबास, भाण्डेडा स्थित भूमि खसरा नम्बर 69, 70, 71 का जमाबंदी में दर्ज ेत्रफल के अनुसार ही नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 69, 70, 71 दुरूस्त किया जाकर बनाये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में सलग्न राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त जॉच रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्ती नक्शा ट्रेस किये जाने बाबत् को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाता है कि आप स्वयं जॉच करे यदि ग्राम बडाबास, भाण्डेडा स्थित भूमि खसरा नम्बर 69, 70, 71 का जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता पाई जाती है तो खसरा नम्बर 69, 70, 71 का जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 69, 70, 71 दुरूस्त कर अमल दरामद करें। तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

10/6/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	०८/०८/२५	
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार तहसीलदार मांगीकुई उप०। पेशकार सरकार ने प्रकरण में पूर्व से पेश जांच रिपोर्ट [illegible] [illegible] [illegible] में २८/०४/२०२४ की ही रिपोर्ट। जवाब मानने हेतु निवेदन २८/०४/२०२४ की ही रिपोर्ट। जवाब मानने [illegible] २८/०४/२०२४ को ही रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रा०पत्र, किया। इसने रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रा०पत्र पर वकील पत्रावली, का अवलोकन किया। प्रा०पत्र पर वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 10/6/25 को पेश हो।	
	10/06/25	
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार उप०। बहस पर मनन किया। प्रा०पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने एवं प्रा०पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार मांगीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण [illegible] शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	[illegible] 10/6/25	